न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/112

1. भगवान सहाय पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचातय बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामसहाय पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शांति बाई पतनी स्व0 रामपाल जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मूर्ति बाई पुत्री रामपाल पत्नी रामजस जाति मीणा निवासी बटावती तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. सुरता बाई पुत्री रामपाल पत्नी सीताराम जाति मीणा हाल निवास डेकबा पंचायत डेकवा तहसील जिला सवाईमाधोपुर ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामनिवास पुत्र श्रवण निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. गन्दोडी पत्नी नामालूम निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. हरपाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. छीतर पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी बोरदा तहसील नैनवा हाल निवासी बैरवाओं के झौपडा ग्राम पंचायत जैतपुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. पांची पत्नी गंगाराम जाति बैरवा निवासी बोरदा तहसील नैनवा हाल निवास बैरवाओं के झौपडा ग्राम पंचायत जैतपुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. पप्पू पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी रघुनाथगंज हाल निवास बोरदा पंचायत बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. हरफूल पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. रामप्रसाद पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीपक साहू, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 की ओर से
3. श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 4 से 8 की आरे से ।

निर्णय

दिनांक: 29.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 139 में खसरा नम्बर 165 रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी कम 01 रामनिवास के खातेदारी की भूमि है । ग्राम रघुनाथगंज में खाता संख्या 27 में खसरा नम्बर 163 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी कम 02 गन्दोडी के खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम रघुनाथगंज की खाता संख्या 203 में खसरा नम्बर 169 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी कम 03 हरपाल के खातेदारी की भूमि है । ग्राम रघुनाथगंज की खाता संख्या 26 में खसरा नम्बर 237 रकबा 14 बीघा भूमि स्थित है । इस भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 हैं । सहखातेदार माया ने अपने हिस्से का हक त्याग अप्रार्थीगण संख्या 1व 2 के पक्ष में कर दिया है । सहखातेदार कल्याण की मृत्यु हो चुकी है उसका एक मात्र पुत्र व वैध उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 03 पप्पू है । ग्राम रघुनाथगंज में खाता संख्या 206 में खसरा नम्बर 215 रकबा 04 बीघा 11 भूमि स्थित है उक्त भूमि अप्रार्थी कम 4 व 5 तथा इनकी माता नाथी बेवा रामनारायण के खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार खाता संख्या 93 में खसरा नम्बर 214/577 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थीगण कम 6 लगायत 10 के खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 व 6 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 215 व 214/577 जिसके मूल खसरा नम्बर 214 हैं मे समीधी से बामनगॉव आने–जाने वाला डामर रोड है जो रास्ता खसरा नम्बर 236 में होकर आता है । इस रोड को प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट "क" में लाल लाईनों से "अ" बिन्दु से "य" बिन्दु तक दिखाया गया है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित भूमि में आने–जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम रघुनाथगंज से आम रोड में होकर खसरा नम्बर 214 "ब" बिन्दु से रास्ता संख्या 181 को क्रोस करते हुए खसरा नम्बर 237 में "स" बिन्दु तक और "स" बिन्दु से खाली (नाला) खसरा नम्बर 238 के दक्षिणी किनारे के सहारे होकर "द" बिन्दु तक है । उसके बाद प्रार्थीगण रास्ता खसरा नम्बर संख्या 161/1 व 162/1 जिनमें जिनके जमाबन्दी में खसरा नम्बर 659/161 व 658/162 खसरा नम्बर बनाये हैं में होकर अपने खाते की अन्य भूमि खसरा नम्बर 163 व 169 में पहुंचते हैं । इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की भूमियों में आने–जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ट "क" में जो रास्ता दर्शाया गया है उसे प्रार्थीगण 10 फिट की चौडाई में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करवाना चाहते हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 08 में वर्णित व परिशिष्ट "क" में दर्शाए गये 10 फिट की चौडाई का रास्ता खसरा नम्बर 214/577 जिसके

मूल खसरा नम्बर 214 हैं व खसरा नम्बर 237 में राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने व मौके पर भी रास्ते की स्थायी सीमा कायम की जावे । अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 10 को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण को इस रास्ते के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें ।

4. अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 ने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया ।

5. अप्रार्थीगण कम 05 लगायत 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं स्वयं द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 03 बीघा पर पहुंचने के लिए नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण कम 06 लगायत 10 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम के तथ्यों को सही तरीके से अवलोकन नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु सुगत रास्ता खसरा नम्बर 214/577 की पूर्वी मेड से खसरा नम्बर 167 की उत्तरी में व खसरा नम्बर 168 की दक्षिणी में दोनों के बीच में समीधी बामनवास सडक से ही है । इस तथ्य को नजरअन्दाज कर परीक्षण न्यायालय ने नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की नकल अपीलान्टगण को दिनांक 19.04.2021 को प्राप्त हुई उसी समय लॉक डाउन प्रारम्भ हो गया । इसलिए अपीलान्टगण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके थे । ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई और तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को नया रास्ता दिये जाने के आदेश

पारित किये हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम के तथ्यों को सही तरीके से अवलोकन नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु सुगम रास्ता खसरा नम्बर 214/577 की पूर्वी मेड से खसरा नम्बर 167 की उत्तरी में व खसरा नम्बर 168 की दक्षिणी में दोनों के बीच में समीधी बामनवास सडक से ही है । इस तथ्य को नजरअन्दाज कर परीक्षण न्यायालय ने नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है और दूसरे रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो पूर्व का रास्ता अवस्थित होते हुए पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2022 (1) पेज 693, आरएलडब्ल्यू 2014 (1) (राज0) पेज 42 उद्वरत की ।

11. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के खाते की कृषि भूमि खसरा नम्बर 163 वच 169 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर संख्या 161/1 व 162/1 जिनमें जिनके जमाबन्दी में खसरा नम्बर 659/161 व 658/162 खसरा नम्बर बनाये हैं में होकर अपने खाते की भूमि में पहुंचते हैं । इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमियों में आने–जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 237 रकबा 14 बीघा में से (17 गठ्ठा * 2 गठ्ठा) = 34 वर्ग गठ्ठा = 02 बीघा पर खातेदार गंगाराम खसरा नम्बर 214 रकबा 0.15 बीघा बंजड सिवायचक में से (04 गठ्ठा * 2 गठ्ठा) = 08 वर्ग गठ्ठा = 0.01 बीघा सरकार खातेदार खसरा नम्बर 214/577 रकबा 05 बीघा में से (08 गठ्ठा * 2 गठ्ठा) = 16 वर्ग गठ्ठा = 0.01 बीघा पर खातेदार भगवान सहाय, रामसहाय खातेदार में होता हुआ समीधी रोड पर मिलते हुए नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ते की लम्बाई 29 गठ्ठा व चौडाई 02 गठ्ठा जिसका क्षेत्रफल 0.04 बीघा है पर नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये हैं और परीक्षण न्यायालय ने नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा कराने पर नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जारक परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2022 (1) पेज 196, आरआरटी 2022 (1) पेज 558, आरआरटी 2019 (1) पेज 152, आरबीजे 2020 पेज 698 उद्वरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थीगण कम 5 लगायत 10 अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष जवाब व विशेष आपत्ति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत विशेष आपत्ति व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई और तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को नया रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये हैं ।

14. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 10 में कथन किया है कि "राजस्व नक्शे में दर्ज रास्ता खसरा नम्बर 181 पश्चिम से पूर्वी ओर तक काफी गहरा हो चुका है जिसका उपयोग रास्ते के रूप में नहीं होता है । प्रार्थीगण को 10 फीट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है । परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये रास्ते से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति भी नहीं होती है।" इस प्रकार प्रकार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 181 में होकर रास्ता होना स्वीकार किया है परन्तु उक्त रिकॉर्डेड रास्ता रास्ते के रूप में उपयोग नहीं हो रहा है जबकि प्रथमदृष्टया नजरी नक्शा ट्रेस देखने से प्रतीत होता है कि उक्त रिकॉर्डेड रास्ता प्रार्थी की भूमि के अधिक निकट है । मौका रिपोर्ट में एवं तहसीलदार की रिपोर्ट में भी यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, जबकि नियमानुसार रास्ते की आन्त्यतिक आवश्यकता सिद्ध होनी चाहिए । मौका रिपोर्ट में भी सहमति अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया है परन्तु अपीलान्ट की सहमति अंकित नहीं है । अतः खसरा नम्बर 181 व सम्पूर्ण मौके की स्थिति स्वंय तहसीलदार, नैनवा द्वारा देखना उचित रहेगा । तहसीलदार द्वारा मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी नियम 69 की पालना करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना उचित होगा ।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 14 में किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार, नैनवा स्वयं मौका निरीक्षण कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा